रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/96

REGISTERED No. DL—33001/96

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 23, 1996 (अग्रहायण 2, 1918)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 23, 1996 (AGRAHAYANA 2, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	725
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1003
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	9
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1673
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1275
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	937
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	5639
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	309
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	725
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1003
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1673
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1275
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	937
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	5639
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	309
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर 1996

आदेश

सं. ओ-12012/21/96-ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप-नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद ओ एन जी सी लिमिटेड कहा गया है) को कच्छ अपतट विस्तार "एफ" क्षेत्र में 556.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 4 मई, 1996 (04-05-1996) से चार वर्ष के लिए पेट्रोलियम की खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाना लाइसेंसधारी को अलग से बताए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन है ।

एम. मार्टिन
डेस्क अधिकारी

सं. ओ-12012/05/96-ओ एन जी डी-4—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के नियम-5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद ओ एन जी सी लिमिटेड कहा गया है) को कावेरी अपतट में ब्लाक सी-ओ एस-7 क्षेत्र में 1,150 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 15 जनवरी, 1996 (15-01-1996) से चार वर्ष के लिए पेट्रोलियम की खोज के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करती है ।

2. पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस का दिया जाना लाइसेंसधारी को अलग से बताए जा रहे निबंधनों व शर्तों के अधीन है ।

एम. मार्टिन
डेस्क अधिकारी

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर 1996

विषय : सहकारिता सम्बन्धी सलाहकार समिति

संकल्प

दिनांक 2 सितम्बर, 1996 के समसंख्यक संकल्प के एतद् द्वारा में समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामजद किया जाता है :—

1.	श्री छोटू भाई गामित— संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
2.	श्री ए. एम. बेलू— संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3.	श्री नगेन्द्रनाथ ओझा— संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य

समिति के कार्य और अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

मोहन कन्दा
संयुक्त सचिव

(परमाणु ऊर्जा विभाग)

मुंबई-400 039, दिनांक 30 अक्तूबर 1996

संकल्प

सं. 5/5/94 आर एण्ड डी 2—प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (आई पी आर) गांधीनगर, गुजरात को सम्बद्धीय रूप से परिरुद्ध प्लाज्मा की भौतिकी पर बल देते हुए प्लाज्मा अनुसंधान विज्ञान में प्रायोगिक और सैद्धांतिक अध्ययनों का अनुसरण करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 1986 में एक स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था ।

प्रभावशाली प्रबंधन करने एवं परमाणु ऊर्जा विभाग (पउवि) के संस्थान/यूनिटों की अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रियाकलापों के साथ इसके समन्वयन के उद्देश्य से प्लाज्मा अनुसंधान का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 01-10-1996 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पूर्णतः परमाणु ऊर्जा विभाग को स्थानांतरित किया गया।

उपर्युक्त विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के दिनांक 16-9-1996 के संकल्प सं. ए 1/आईपीआर/मिस-7/94 के अनुसरण में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान को दिनांक 01-10-1996 से परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत एक सहायता प्राप्त संस्थान के रूप में लाया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/परमाणु ऊर्जा विभाग के सभी स्वायत्तशासी संस्थानों/गुजरात राज्य सरकार को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए. दासगुप्ता
संयुक्त सचिव

मुंबई-400 039, दिनांक 7 अक्तूबर 1996

संकल्प

सं. 56/1/95-आर एण्ड डी-2/1817—भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) के दिनांक 19 अगस्त 1996 के संकल्प सं. 56/1/95-आर एण्ड डी-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, क्र.सं. 16 यानि डा. डी. सी. खांडेकर, सचिव के स्थान पर डा. डी. सी. खांडेकर, सदस्य सचिव पढ़ा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अध्यक्ष, बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ-साथ राज्यसभा सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग तथा सभी राज्य सरकार एवं संघ राज्य प्रशासन को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाये।

सी. के. शाह
संयुक्त सचिव

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 1996

सं. 21/21/आई टी/96—इन्टरनेशनल पेपर फ्यूचर्स एक्सचेंज, कोची, भारत में प्रतिभागियों (व्यक्ति, फर्मों तथा संस्थानों) के लिए दिशा निर्देश।

प्रस्तावना : भारत सरकार ने मूल्य खोज तंत्र तथा मूल्य जोखिम प्रबंध के उपाय के रूप में फ्यूचर्स व्यापार की भूमिका तथा महत्व को समझते हुए और काली मिर्च के स्वस्थ देशीय तथा निर्यात बाजारों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से साबुत काली मिर्च के संबंध में इन्टरनेशनल पेपर फ्यूचर्स अनुबंध का आदान-प्रदान करने के लिए कोची में पहला जिन्स एक्सचेंज स्थापित करने हेतु अनुमति देने तथा उसे बढ़ावा देने का निर्णय किया है। इस एक्सचेंज में भारतीयों के साथ-साथ विदेशी प्रतिभागियों को अनुबंध का आदान-प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

कोची स्थित इन्टरनेशनल फ्यूचर्स एक्सचेंज में भारतीय तथा विदेशी प्रतिभागियों के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मोटे तौर पर निम्नांकित दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं :—

पात्रता तथा पंजीकरण

1. काली मिर्च के फ्यूचर अनुबंध का आदान-प्रदान में रुचि रखने वाले भारतीय तथा विदेशी प्रतिभागी, पर्याप्त पूंजी के मानदंडों, विदेशी एक्सचेंज के कोण से अनुमति, एक्सचेंज तथा क्लीयरिंग हाउस के नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा वायदा बाजार आयोग, बम्बई में पंजीकरण की शर्तों के अधीन रहते हुए व्यापार (आदान-प्रदान) करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2. कोची स्थित इन्टरनेशनल पेपर फ्यूचर्स एक्सचेंज में भाग लेने के इच्छुक सभी संबंधितों को सदस्य अथवा पंजीकृत गैर सदस्य बनने के लिए एक्सचेंज से संपर्क करने अथवा क्लीयरिंग हाउस के अंशधारक बनने से पूर्व वायदा बाजार आयोग, जो भारत में जिन्सों में वायदा बाजारों का विनियमन का प्राधिकरण है, में अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण की अपेक्षा सभी को पूरी करनी होगी, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी प्रतिभागी हो, चाहे वे व्यक्ति हों अथवा फर्म हों या कोई रजिस्टर्ड कम्पनी हो अथवा किसी अन्य प्रकार का संगठन हो। आयोग में पंजीकरण के प्रयोजन से नामिती कम्पनियों, सम्बद्ध कम्पनियों तथा सहायक कम्पनियों का अस्तित्व अलग-अलग माना जाएगा।

3. जहां तक विदेशी प्रतिभागियों का संबंध है, वे निम्नांकित तीन तरीकों में से किसी एक को अपना सकते हैं :—

(क) औद्योगिक अनुमोदन की सचिवालय/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व

बैंक से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत में अपने को एक पंजीकृत कम्पनी के रूप में समाविष्ट कर लें और उसके बाद एक्सचेंज का सदस्य और/अथवा क्लीयरिंग हाउस का अंशधारक बन जाएं ।

या

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने के बाद भारत में एक शाखा कार्यालय खोलना तथा उसके पश्चात् एक्सचेंज का सदस्य और/अथवा क्लीयरिंग हाउस का अंशधारक बनना ।

या

(ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने के बाद एक्सचेंज के अन्य सदस्य के जरिए "पंजीकृत गैर-सदस्य बनकर तथा एक्सचेंज में" पंजीकृत "गैर-सदस्य" के रूप में पंजीकृत होकर कार्य करना । ऐसे गैर-सदस्य स्वयं अपनी ओर से व्यापार कर सकेंगे और वे अपने ग्राहकों, सहयोगियों आदि की ओर से व्यापार नहीं कर सकते हैं ।

4 भारतीय कम्पनियों/फर्मों/व्यक्तियों/संस्थाओं को विदेशी प्रतिभागियों चाहे वे सदस्य हों अथवा गैर पंजीकृत सदस्य की ओर से कार्य करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

5. (क) जो विदेशी प्रतिभागी, भारत में एक कम्पनी के रूप में समाविष्ट होना चाहते हैं, उन को औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय/विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा । भारत में कम्पनी नियमित करनी होगी तथा उसके पश्चात् पंजीकरण के लिए आयोग के पास आवेदन करना होगा ।

(खख) जो विदेशी प्रतिभागी, कोई शाखा कार्यालय खोलना चाहते हैं, उन को अपने आवेदन आयोग के पास भेजने होंगे । उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी, जिसके लिए उनका आवेदन आयोग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा ।

(ग) जो विदेशी प्रतिभागी, पंजीकृत गैर सदस्य के रूप में कार्य करना चाहते हैं, इन को अपने आवेदन पंजीकरण के लिए आयोग को भेजने चाहिए ।

(घ) सभी भारतीयों चाहे वह कम्पनी हो या फर्म, संस्था या व्यक्ति हों, पंजीकरण के लिए अपने आवेदन सीधे आयोग को भेजने चाहिए ।

6. आयोग में पंजीकरण कराने के लिए फार्म "ए" में आवेदन पत्र की तीन प्रतियां जमा करानी होंगी जिसके साथ सहायक सचिव, वायदा बाजार आयोग मुंबई के पक्ष में आहरित मुंबई में देय विदेशी प्रतिभागियों के मामले में 300 रु. अमरीकी डालर का और भारतीयों के मामले में 5000 रु. का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक अप्रतिदेय प्रक्रिया शुल्क के रूप में जमा करना होगा ।

7. यदि कोई आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण न हो और फार्म में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो या यदि किसी सूचना को छिपाया गया हो या गुमराह करने वाली सूचना दी गई हो तो उस आवेदन पत्र को आयोग द्वारा नामंजूर कर दिया जाएगा । ऐसे आवेदन पत्र को नामंजूर करने से पहले, आवेदक को आयोग द्वारा इंगित कमियों को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दूर करने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा । किसी झूठी या गुमराह करने वाली सूचना पर या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपा कर आयोग में कराए गए किसी पंजीकरण को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा । पंजीकरण को रद्द करने में देरी होने पर आयोग को किए गए पंजीकरण को निलम्बित करने का अधिकार होगा । पंजीकरण को रद्द करने या निलंबित करने की सूचना संबंधित व्यक्ति को और साथ ही कोची स्थित एक्सचेंज और "क्लीयरिंग हाउस" को भी दे दी जाएगी तथा एक्सचेंज इसे अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा ।

8. पंजीकरण करने के उद्देश्य से आयोग पंजीकरण के लिए संगत सभी बातों और विश्लेषण निम्नलिखित पर विचार करेगा :—

(क) आवेदक के क्रियाकलापों का रिकार्ड (ट्रैक रिकार्ड), व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, वित्तीय सुदृढ़ता, अनुभव आदि ।

(ख) क्या आवेदक देश में स्थित देशीय लोगों/विदेशियों/विदेशी लोगों की भागीदारी से बने निगम और/या किसी अन्य देश के जिन्स एक्सचेंज का सदस्य है और क्या आवेदक देश में स्थित देशीय लोगों/विदेशी लोगों की भागीदारी से बने निगम और/या किसी अन्य देश में स्थित जिन्स बाजारों के लिए उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी/प्राधिकारियों द्वारा पंजीकृत है ।

(ग) क्या आवेदक या इसकी प्रधान, सहायक या नामित कम्पनियों को किसी देश के, जहां का यह सदस्य रहा है या जहां यह व्यापार कर रहा है, वहां स्थित न्यायालय या जिन्स एक्सचेंज या विनियामक प्राधिकारियों द्वारा दण्ड, जुर्माना, व्यापार के निलम्बन या किसी भी प्रकार का अन्य दण्ड दिया गया है ।

(घ) आवेदक के ट्रैक रिकार्ड में आवेदक और इसकी प्रिंसिपल कम्पनी द्वारा जिन्स भावी सौदा बाजार में, विशेषकर कृषिजन्य जिन्सों में कितना व्यापार किया गया है, यह शामिल होगा ।

9. फार्म ''ए'' में आवेदन किए जाने और आवेदक के पंजीकरण हेतु पात्र पाए जाने के बाद आयोग द्वारा आवेदन को, जहां अपेक्षित हो, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ''फेरा'' के तहत अनुमति प्रदान करने के लिए भेजा जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने पर आवेदक को आयोग द्वारा अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है जो विदेशी भागीदारों के मामले में 600 अमरीकी डालर या भारतीयों के मामले में 10,000 रु. है और इसके एवज में आवेदक के पक्ष में 5 वर्षों की अवधि तक के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । आयोग में पंजीकरण के बाद ही वह आवेदक एक्सचेंज में किसी भी श्रेणी की सदस्यता के लिए या गैर-सदस्य के रूप में पंजीकरण हेतु संपर्क करेगा और साथ ही वह शेयर होल्डर बनने के लिए क्लीयरिंग हाउस से भी संपर्क करेगा ।

10. पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर आयोग, जितना शीघ्र संभव हो, पर 3 महीनों के भीतर ही, भारतीय या विदेशी प्रतिभागी से आयोग द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं और अतिरिक्त/इसके बाद की और सूचनाओं को मुहैया होने के बाद और यदि आवेदन सभी तरह से पूर्ण हो और यदि मांगी गई सभी सूचनाएं मुहैया करा दी गई हों तथा आवेदक पंजीकरण हेतु पात्र पाया जाता हो, तो उन शर्तों के अधीन जो आवश्यक समझा जाए फार्म ''बी'' में पंजीकरण करेगा ।

11. (क) जहां आयोग की राय में पंजीकरण के लिए या नवीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, उस स्थिति में आयोग आवेदन को नामंजूर कर सकता है पर इसके पहले आवेदक को सुने जाने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(ख) आवेदन नामंजूर किए जाने से संबंधित निर्णय के बारे में आयोग द्वारा आवेदक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और उसमें उन कारणों को भी बताया जाएगा जिनके आधार पर आवेदन को नामंजूर कर दिया गया ।

(ग) कोई भी आवेदक, जिसका पंजीकरण के लिए या उसके नवीकरण के लिए किए गए आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है, आयोग द्वारा उसके आवेदन को नामंजूर किए जाने की तारीख से 6 महीनों के पश्चात् पुनः नए सिरे से आवेदन करने को स्वतंत्र होगा। यदि कोई अपील दायर की गई है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है तो नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन, अपील के नामंजूर होने की तारीख के कम से कम 6 महीनों बाद ही किया जा सकता है ।

पंजीकरण का नवीकरण

12. यदि कोई प्रतिभागी पंजीकरण का नवीनीकरण करवाना चाहता है, तो उसको फार्म ''ए'' में नवीनीकरण के लिए एक आवेदन-पत्र देना होगा और उसके साथ उतनी राशि का शुल्क जमा करना होगा जितनी प्रारम्भिक पंजीकरण के लिए निर्धारित की गयी है । आवेदन पत्र पंजीकरण की अवधि समाप्त होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले देना होगा । नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र की जांच करते समय आयोग संगत तथ्यों पर विचार करेगा । इनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य पंजीकरण की अवधि के दौरान आवेदक का पिछला कार्य निष्पादन होगा जिसमें उसकी विरुद्ध अनुशासनात्मक और दाण्डिक कार्रवाई भी शामिल होगी । नवीनीकरण के आवेदनों पर निर्णय आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक महीने के भीतर ले लिया जाएगा ।

आयोग के आदेश के खिलाफ अपील

13. यदि किसी मामले में आयोग द्वारा पंजीकरण के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है या आयोग द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो आवेदक अपील करने का कारण और पृष्ठभूमि बताते हुए नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपील दायर कर सकता है । अपील इस तरीके से दायर की जाए ताकि वह पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र को नामंजूर करने या पंजीकरण को रद्द करने के आदेश सम्प्रेषित किए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर नागरिक पूर्ति मंत्रालय को पहुंच जाए । अपील के साथ पंजीकरण के लिए आयोग को दिए गए आवेदन-पत्र की प्रति के साथ-साथ प्रस्तुत की गई अतिरिक्त सूचना/दस्तावेज तथा पंजीकरण के आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की एक प्रति भेजी जाए । नामंजूरी आदेश के खिलाफ ऐसी अपील को सामान्यतः नामंजूर कर दिया जाएगा जिसके साथ अपेक्षित दस्तावेज न भेजे गए हों। जहां तक पंजीकरण को रद्द किए जाने का संबंध है, अपील के साथ पंजीकरण को रद्द करने के आदेश की एक प्रति भेजी जाए ।

14. भारतीय और विदेशी प्रतिभागियों को पंजीकरण की मंजूरी या नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा :—

(क) वह पंजीकरण की शर्तों और भारतीय रिजर्व बैंक तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का अनुपालन करेगा, और

(स) यदि आयोग को पहले प्रस्तुत की गई सूचना या विशिष्टियां झूठी पाई जाती हैं या किसी प्रकार की भ्रान्ति पैदा करती हैं, तो वह तत्काल लिखित रूप में आयोग को सूचित करेगा ।

(ग) यदि उसके द्वारा आयोग को पहले दी गई सूचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, जिसका आयोग द्वारा मंजूर पंजीकरण पर प्रभाव पड़ता हो तो वह तत्काल लिखित रूप में आयोग को सूचित करेगा ।

(घ) वह अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952, अग्रिम संविदा (विनियम) नियम 1954, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 के उपबंधों सरकारी अधिसूचनाओं, अंतर्राष्ट्रीय पेपर फ्यूचर एक्सचेंज को आयोग द्वारा दी गई अनुमति, एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस की उप विधियों आदि तथा भारत सरकार, आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा एक्सचेंज अथवा क्लीयरिंग हाउस द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति और प्रत्यर्पण

15. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई अनुमति के अधीन विदेशी प्रतिभागी निम्नलिखित में से किसी या सभी सुविधाओं का जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग-अलग मामलों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, लाभ उठा सकेंगे :—

(क) किसी निर्दिष्ट बैंक में खुली विदेशी मुद्रा नाम निर्दिष्ट खाते खोलना, यदि विदेशी प्रतिभागियों को अपने प्रचालन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, तो अलग-अलग विदेशी मुद्रा के लिए एक ही बैंक शाखा में एक से अधिक खाते हो सकते हैं;

(ख) एक गैर आवासीय रुपया खाता खोलना जिसके जरिए पेपर फ्यूचर एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस संबंधी प्रचालनों से संबंधित सभी कार्य निष्पादित किए जाएंगे;

(ग) विनियम की बाजार दर पर मूल राशि का विदेशी मुद्रा खाते में से रुपया खाते में तथा रुपया खाते में से विदेशी मुद्रा खाते में अंतरण;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय पेपर फ्यूचर एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस संबंधी प्रचालनों से प्राप्त लाभों/अधिशेष आय आदि के प्रत्यर्पणीय (कर लगाने के बाद) राशि का रुपया खाते में से विदेशी मुद्रा खाते (तों) में अंतरण;

(ङ) विदेशी मुद्रा खाते से समय-समय पर प्रत्यर्पण बशर्ते न्यूनतम राशि एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस, आदि के पूंजी उपयुक्तता मानों के अनुसार रखी जा रही हो ।

निधियों की मात्रा

16. अंतर्राष्ट्रीय पेपर फ्यूचर्स एक्सचेंज और/अथवा क्लीयरिंग हाउस में विदेशी प्रतिभागियों के प्रवेश के प्रयोजन हेतु निधियों की अधिकतम राशि की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा । तथापि, विदेशी प्रतिभागियों को एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस की उपविधियों में यथा निर्धारित न्यूनतम निधियां लानी होंगी तथा उन्हें कायम रखना होगा ।

लाभ, अधिशेष, आय आदि पर कर

17. विदेशी प्रतिभागियों के लिए विद्यमान नीति (संशोधनाधीन) के अनुसार, लाभांश और ब्याज के मामले में निवेश आय पर सकल राशि का 20 प्रतिशत कर लगाया जाता है । सट्टेबाजी/हेजिंग को व्यापार माना जाता है और तदनुसार कर लगाए जाते हैं । तथापि, सट्टेबाजी के व्यापार में यदि कोई हानि हो, तो उसकी पूर्ति किसी अन्य व्यापारिक लाभ से न कर केवल सट्टेबाजी से होने वाले लाभ और फायदे, यदि कोई हो, में से की जाएगी । किसी विदेशी प्रतिभागी के शाखा कार्यालय के लाभों, अधिशेषों, आय आदि के प्रत्यार्पण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति जरूरी है ।

सूचना देना, पर्यवेक्षण आदि

18. आयोग अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा एक्सचेंज या क्लीयरिंग हाउसिंग द्वारा मांगे जाने पर प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभागी के रूप में अपनी गतिविधियों से संबंधित कोई भी सूचना, रिकार्ड अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । आयोग को भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सचेंज और क्लीयरिंग हाउस को प्रतिभागियों के कार्यों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी ।

स. सी. बृह्म
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 31st October 1996

ORDER

No. O-12012 21/96-ONG. D. IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Corporation Limited, Tel Bhavan, Dehradun, (hereinafter referred to as O. N. G. C. Ltd.) a Petroleum Exploration Licence to prospect Petroleum for four years with effect from May 4, 1996 (04-05-1996) in Kutch Offshore Extn. "F" area measuring 556.00 sq. kms.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the licencee separately

M. MARTIN,
Desk Officer

ORDER

No. O-12012/05/96-ONG. D. IV.—In exercise of powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Corporation Limited, Tel Bhavan, Dehradun, (hereinafter referred to as O. N. G. C. Ltd.) a Petroleum Exploration Licence to prospect Petroleum for four years with effect from January 15, 1996 (15-01-1996) in Block C-OS-VII area measuring 1,150 sq. kms., in Cauvery Offshore.

2. The grant of Petroleum Exploration Licence is subject to the terms and conditions being intimated to the licencee separately.

M. MARTIN.
Desk Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 23rd October 1996

Subject : *Advisory Committee on Cooperation.*

RESOLUTION

No. 1-11011/4/96-L&M.—In continuation of Resolution of even number dated 2nd September, 1996 following persons are hereby nominated on the Committee :

Members

1. Shri Chhitubhai Gamit,
   Member of Parliament,
   (Lok Sabha).
2. Shri A. M. Velu,
   Member of Parliament,
   (Lok Sabha).
3. Shri Nagendra Nath Ojha,
   Member of Parliament,
   (Rajya Sabha).

The terms of reference of the Committee and other conditions will remain the same

MOHAN KANDA,
Jt. Secy.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 039, the 30th October 1996

RESOLUTION

No. 5/5/94 R&D II/1959.—The Institute for Plasma Research (IPR), Gandhinagar, Gujarat was established in 1986 as an autonomous research institute by the Department of Science and Technology (DST), Government of India to pursue experimental and theoretical studies in plasma research with emphasis on the physics of magnetically confined plasmas.

2. With a view to achieving effective management and coordination of its activities with those of the R&D institutions/units of the Department of Atomic Energy (DAE), the administrative control of the Institute for Plasma Research has been transferred by the Department of Science & Technology to the Department of Atomic Energy in toto w.e.f. 01-10-1996.

3. In pursuance of the DST Resolution No. A1/IPR/Misc-7/94 dt. 16-9-1996 on the subject, the Institute for Plasma Research is hereby taken over as an aided institution under the administrative control of the Department of Atomic Energy with effect from 01-10-1996.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Department of the Govt. of India, all the Units and autonomous institutions of the Department of Atomic Energy and the State Government of Gujarat.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. DASGUPTA,
Jt. Secy.

Mumbai-400 039, the 7th October 1996

RESOLUTION

No. 56/1/95-R&D. II/1817.—In partial modification of the Govt. of India (Department of Atomic Energy) Resolution No. 56/1/95-R&D. II dated August 19, 1996 the entry at serial No. 16, viz., "Dr. D. C. Khandekar—Secretary" is hereby amended to read as "Dr. D. C. Khandekar—Member Secretary".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to Chairman and all the Members of the Board as well as to the Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Comptroller & Auditor General of India, Cabinet Secretariat, all Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territory Administrations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. SAHA,
Jt. Secy.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES)

New Delhi, the 4th November 1996

1. No. 21/21/IT/96.—Guidelines for Participants (individual, Firms, and Institutions) in International Pepper Futures Exchange, Kochi, India.

Preamble : Government of India recognising the role and importance of future trading as a price discovery mechanism and price risk management tool and with a view to promote healthy domestic and export markets of pepper, has decided to permit and promote the first Commodity Exchange at Kochi to trade International Pepper Futures Contract in Black Pepper-whole. Along with Indians, foreign participants are invited to trade the contract in the Exchange.

The following broad guidelines have been framed for the Indian and Foreign participants in the International Pepper Futures Exchange at Kochi in consultation with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Law and the Reserve Bank of India

Eligibility and Registration

1. Indian and foreign participants interested in trading in Pepper futures contract would be free to trade subject to capital adequacy norms permission from foreign exchange angle, compliance with rules and regulations of the exchange and the clearing house and registration with Forward Markets Commission, Mumbai.

2. All those desirous of participating on the International Pepper Futures Exchange at Kochi will have to obtain registration with the Forward Markets Commission (Commission), the regulatory authority for forward markets in commodities in India, before they can approach the Exchange for becoming members or registered non-members or before becoming shareholders of the clearing house. The requirement of the registration would apply to all whether Indian or foreign participant, whether individual or firm or a registered company or any other form of organisation. For the purpose of registration with the Commission nominee companies, affiliated companies and subsidiary companies will be treated as separate entities.

3. As far as foreign participants are concerned they can adopt any one of the following three courses of action.

(a) Incorporate themselves as a registered company in India after obtaining approval of Secretariat for industrial Approval (SIA)/Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Ministry of Industry, and the Reserve Bank of India (RBI) under Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (FERA) and thereafter becoming a member of the Exchange and/or shareholder of the Clearing House;

OR

(b) Opening a branch office in India after obtaining permission from the RBI under FERA and thereafter becoming a member of the Exchange and/or shareholder of the Clearing House;

OR

(c) By operating as a "Registered non-member" through another member of the Exchange after obtaining permission from the RBI under FERA and by being registered with the Exchange as a "registered non-member". Such registered non-member will be able to trade only on their own account and cannot trade on behalf of their client, associates, etc.

4. Indian companies/firms/individuals/institutions would require RBI approval under FERA if they act on behalf of foreign participant—whether Member or Registered non-Member.

5. (a) Those foreign participants who wish to incorporate themselves as a company in India, should obtain approval from SIA/FIPB/RBI incorporate a company in India and thereafter submit an application for Registration with Commission.

(b) Those foreign participants who wish to set up a branch office should send their applications to the Commission, they require permissions of the RBI under the FERA, 1973 for which the application will be sent to the RBI by the Commission.

(c) Those foreign participants who wish to operate as registered non-members should send their applications for registrations to the Commission.

(d) All Indians whether companies, firms, institutions or individuals should submit their applications for registration directly to the Commission.

6. For processing the registration with the Commission an application, in triplicate, in form "A" will have to be filed along with a non-refundable processing fee of US $ 300 in case of foreign participants and Rs. 5,000/- in case of Indians, by means of a Bank draft or Bankers cheque payable at Mumbai drawn in favour of "Assistant Secretary Forward Markets Commission, Mumbai".

7. An application which is not complete in all respects and does not conform to instructions specified in the form or is false or misleading in any material particulars shall be rejected by the Commission. Before rejecting such an application the applicant shall be given a reasonable opportunity to rectify within the time limit specified by the Commission, such deficiencies as may be indicated by the Commission. Any registration obtained from Commission on the basis of false or misleading information or by suppressing any material information shall be liable to be summarily cancelled. Pending cancellation of registration, Commission will have right to suspend the registration granted. The fact of cancellation or suspension of registration will be communicated to the person concerned as well as the Exchange and the Clearing House at Kochi and the Exchange shall put it up on its Notice Board.

8. For the purpose of granting registration, the Commission shall take into account all matters which are relevant to grant of registration and in particular the following viz,

(a) the applicant's track record, professional competence, financial soundness, experience, etc.,

(b) Whether the applicant is a member of any commodity exchange in the country of domicile/incorporation of foreign participants and/or any other country and whether the applicant holds registration from the appropriate regulatory authority/authorities for the commodity markets in the country of domicile/incorporation of the foreign participant and/or any other country.

(c) Whether the applicant or its principals, subsidiary or nominee companies have been awarded any penalties fines, suspension of trading or any other punishment by the Courts of Law, the commodity exchanges or the regulatory authorities in any of the countries where it may be a member or it may be trading.

(d) The track record of the applicant would include the volume of trading in Commodity Futures Market, particularly of agricultural commodities, by the applicant and its principals.

9. After an application in form "A" has been filed and the applicant is found eligible for registration, the application will be forwarded by the Commission to the RBI for permission under FERA wherever required. On grant of permission by the RBI the applicant will be called upon by Commission to pay a non-refundable registration fee of US $ 600 in case of foreign participants or Rs. 10,000/- in case of Indians upon which the registration certificate, valid for a period of 5 years, will be issued in favour of the applicant. An applicant registered with the Commission could thereafter approach the Exchange for any category of membership or for registration as non-member and also approach the clearing house for becoming a shareholder.

10. On an application being made for grant of registration, the Commission shall, as soon as possible but not later than 3 months after all the information and additional/further information called for by it has been furnished by the Indian or foreign participant, and if the application is complete in all respects, all particulars sought for have been furnished and the applicant is found to be eligible for grant of registration grant the registration in Form 'B', subject to such conditions as may be deemed necessary.

11(a) Where in the opinion of the Commission an application for grant or renewal of registration does not satisfy the requirements specified, the Commission may reject the application after giving the applicant a reasonable opportunity of being heard.

(b) The decision to reject the application shall be communicated by the Commission to the applicant, in writing stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(c) Any applicant whose application for grant or renewal of registration has been rejected, shall be free to make a fresh application after a period of 6 months from the date of rejection of his application by Commission. In case an appeal has been filed and the same is rejected, an application for registration may be filled at least 6 months after the date of rejection of appeal.

RENEWAL OF REGISTRATION

12. If the participants desire to renew registration, an application for renewal shall be made in form "A" along with same amount of fees as may be prescribed for initial registration at the time of making an application for renewal of registration. The application for registration shall be made at least 3 months before the registration is due to expire. While examining the application for renewal, the Commission will consider relevant factors, the most important of which shall be the past performance of the applicant during the period of registration including any disciplinary or punitive actions taken. The applications for renewal shall be decided by the Commission and RBI within one month.

APPEAL AGAINST THE ORDER OF COMMISSION

13. If in any case an application for registration is rejected by Commission or the registration has been cancelled by Commission the applicant may file an appeal with the Ministry of Civil Supplies, Consumer Affairs and Public Distribution, New Delhi, stating the reasons and the grounds of appeal. The appeal may be filed so as to reach the Ministry of Civil Supplies within 60 days from the date of order communicating the rejection of the application for registration or cancellation of registration. The appeal should be accompanied by a copy of the application filed with Commission for registration along with any additional information/documents that may have been filed and a copy of the order rejecting the application for registration. An appeal against order of rejection not accompanied by requisite documents is likely to be summarily rejected. In respect of appeals against cancellation of registration, a copy of the order communicating cancellation of registration should also be enclosed with the appeal.

14. The grant or renewal of registration to the Indian and foreign participants shall be subject to the conditions that :

(a) it shall abide by the conditions of registration and the conditions of permission granted by the RBI under FERA; and

(b) if any information or particulars previously submitted to the Commission are found to be false or misleading in any material respect, it shall forthwith inform the Commission in writing; and

(c) if there is any material change in the information previously furnished by it to the Commission which has a bearing on registration granted by the Commission it shall forthwith inform the Commission; in writing and

(d) it shall comply with the provisions of Forward Contracts (Regulations) Act, 1952, Forward Contracts (Regulation) Rules 1954, Foreign Exchange Regulation Act, 1973, Government Notifications, permissions granted by Commission to the International Pepper Futures Exchange, Bye-laws of the Exchange and the Clearing House, etc., and with such directions as may be given from time to time by the Government of India Commission, RBI and the Exchange or the Clearing House.

RBI permission & Repatriation

15. The permission granted by the RBI under FERA shall enable the Foreign participants to avail of any or all of the following facilities; as may be specified by RBI in individual cases :

(a) open foreign currency denominated account(s) in a designated bank. There can even be more than one account in the same bank branch each designated in different foreign currencies if it is so required by foreign participants for their operation purpose;

(b) open a non-resident rupee account to which all transactions relating to operations on pepper futures exchange and the Clearing House should be put through;

(c) transfer principal amount from the foreign currency accounts to the rupee account and vice-versa at the market rates of exchange;

(d) transfer repatriable (after tax) proceed from profits/surplus, income, etc., arising out of the operations on International Pepper Futures Exchange and the clearing house from the rupee account to the foreign currency account(s);

(e) repatriate from the foreign currency account(s) periodically subject to the minimum amount being maintained in accordance with the capital adequacy norms of the Exchange and the clearing house; etc.

Quantum of funds

16. There would be no restrictions on the volume of maximum amount of funds for the purpose of entry of foreign participants in the international pepper futures exchange and/or the clearing house. Foreign participant would however have to bring in and maintain minimum quantum of funds as stipulated in Bye-laws of the Exchange and the Clearing House

Tax on profits, surplus, income etc.

17. As per the existing policy (subject to revision) for foreign participants, investment income in the case of dividend and interest is taxed at 20 per cent of the gross amount. Speculation/hedging is treated as a business and taxed accordingly. However, losses if any, in respect of a speculation business shall not be set off except against profits and gains if any from another speculation and not from other business profits. For repatriation of profits surplus income etc of branch office of a foreign participant, special permission of the RBI is necessary.

Furnishing of information, supervision etc.

18. Every participant shall, as and when required by the Commission or the RBI or the Exchange or the Clearing House, submit any information, record or documents in relation to its activities as a participant. The Commission, the RBI the Exchange and the clearing house shall have the power of inspection and supervision over the affairs of the participant(s).

S. C. BRAHMA,
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.